भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2171

गुरूवार, 18 दिसंबर, 2025/27 अग्रहायण, 1947 (शक)

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना

2171 **श्रीमती किरण चौधरी:**
श्री सुभाष बराला:
श्री नरहरी अमीन:
श्री मिथलेश कुमार:
श्री बृज लाल:
श्रीमती माया नारोलिया:
श्रीमती रमिलाबेन बेचारभाई बारा:
श्री रायगा कृष्णैया:
श्री कणाद पुरकायस्थ:
श्री केसरीदेवसिंह झाला:

क्या श्रम **और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएम वीबीआरवाई) आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) से किस प्रकार भिन्न है;
(ख) पीएम वीबीआरवाई के अंतर्गत वित्तीय प्रभाव का ब्योरा क्या है;
(ग) पीएम वीबीआरवाई की क्रियान्वयन अवधि के दौरान कितनी नौकरियां सृजित करने का लक्ष्य है; और
(घ) पीएम वीबीआरवाई के अंतर्गत रोज़गार सृजन के प्रोत्साहन के लिए पात्र होने की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, रोजगार क्षमता बढ़ाने और विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए एमएसएमई और ग्रामीण उद्यमों सहित सभी क्षेत्रों में

जारी/-2

सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दिनांक 1 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएमवीबीआरवाई) नामक रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना का अनुमोदन किया। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएमवीबीआरवाई) के अंतर्गत प्रोत्साहन, दिनांक 1 अगस्त 2025 से शुरू हो कर दिनांक 31 जुलाई 2027 को समाप्त होने वाली दो वर्ष की पंजीकरण अवधि के दौरान सृजित नौकरियों पर लागू होते हैं। इस योजना का उद्देश्य 2 वर्षों की अवधि में पूरे देश में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करना है। इस योजना का बजटीय परिव्यय 99,446 करोड़ रुपये है।

योजना के भाग क के अंतर्गत, मौजूदा और नए दोनों संस्थापनों के पहली बार नौकरी में आने वाले कर्मचारी, अधिकतम 15,000/- रुपये के अध्यधीन, एक माह के ईपीएफ वेतन के बराबर प्रोत्साहन के लिए पात्र होंगे। यह प्रोत्साहन, नियोजन के पहले वर्ष के दौरान दो किस्तों में देय होगा। 7,500 रुपये तक की पहली किस्त, छह महीने के निरंतर रोजगार के पूरा होने के बाद वितरित की जाएगी। दूसरी किस्त के लिए पात्रता, बारह महीने के नियोजन के पूरा होने और निर्धारित वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम के सफलतापूर्वक पूरा होने के पश्चात उत्पन्न होगी। यह दूसरी किस्त एक निर्दिष्ट अवधि के लिए उपयुक्त बचत लिखत/बचत खाते में जमा की जाएगी।

भाग ख, कम से कम 6 महीने तक बने रहने वाले प्रत्येक अतिरिक्त नियोजन के लिए प्रति माह 3,000/-रूपये तक प्रदान करते हुए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करता है।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगार के सृजन और कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार के नुकसान की बहाली के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए दिनांक 1 अक्टूबर 2020 से शुरू की गई थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तारीख दिनांक 31.03.2022 थी। इस योजना के अंतर्गत दिनांक 31 मार्च 2022 तक पंजीकृत लाभार्थियों ने पंजीकरण की तारीख से 2 वर्ष तक लाभ प्राप्त किए थे। योजना की शुरुआत से दिनांक 31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार, देश में 60.49 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।
